MOST-URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः सामान्य / चिकित्सा / 2020 / 30758 दिनांक 29 मार्च, 2020

:: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में कोविड–19, नोवल कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा जिले की राजस्व सीमा (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र में भारतीय दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयीं हैं एवं सम्पूर्ण जिला लॉक डाउन हैं।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देश के अनुक्रम में आदेश दिये जाते हैं कि –

1. भारत सरकार द्वारा मास्क एवं सेनीटाईजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया गया हैं। जिला रसद अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता हैं कि जिले में मास्क एवं सेनीटाईजर की अवैध बिक्री, कालाबाजारी एवं जमाखोरी नहीं हो, इसे आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावे।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता हैं कि जिले में मास्क एवं सेनीटाईजर एम0आर0पी0 से अधिक मूल्य पर विक्रय नहीं हो तथा मेडिकल स्टोर पर पर इनकी मूल्य सूची प्रदर्शित की जावे, इसे सुनिश्चित किया जावे
3. जिले में खाद्य पदार्थो एवं आवश्यक वस्तुओ की जमाखोरी एवं कालाबाजारी नहीं हो, इसे आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावे।
4. खाद्य पदार्थो एवं आवश्यक वस्तुएं एम0आर0पी0 से अधिक मूल्य पर विक्रय नहीं हो, इसे सुनिश्चित किया जावे तथा मूल्य सूची प्रदर्शित की जावे।
5. सचिव नगर विकास न्यास, आयुक्त नगर परिषद, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिकाएं, विकास अधिकारी पंचायत समिति अपने–अपने क्षेत्र में साफ–सफाई की पूर्ण व्यवस्था करेगे तथा समय–समय पर हापोक्लोराईड़ सोल्यूशन का स्प्रे करवाना सुनिश्चित करेगें।

आदेश की सभी संबंधित द्वारा त्वरित पालना सुनिश्चित की जावे। अधो–हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रतिदिन अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त, अजमेर
5. महानिरीक्षक, पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर

Scanned by CamScanner

6. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
7. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
8. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
10. प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, भीलवाड़ा
11. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
12. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, वॉर रूम, भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित कराने हेतु।
13. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा
14. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
15. जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा
16. आयुक्त नगर परिषद, भीलवाड़ा
17. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
18. प्राचार्य, राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा
19. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
20. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, भीलवाड़ा
21. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
22. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
23. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
24. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश का समाचार पत्रो, मिडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे तथा मिडिया कवरेज में प्रमुखता दी जावे।
25. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
26. कार्यालय अधीक्षक, जिला कार्यालय

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner